न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 35/2023 प्रा.प.

उनवान

1. श्री काना पिता नाथु डांगी उम्र बालिग
2. श्री केवाराम पिता नाथु डांगी उम्र बालिग
   निवासी ओरवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमती कान्ता पुत्री नाथु डांगी पत्नी शंकर जी डांगी उम्र बालिग निवासी ओरवाडिया हाल माकडसीमा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
4. श्रीमती मनु पुत्री नाथु डांगी पत्नी पेमजी डांगी उम्र बालिग निवासी ओरवाडिया हाल हर बनोडा तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)।
5. श्रीमती भागु पुत्री नाथु डांगी पत्नी गोविन्द डांगी उम्र बालिग निवासी ओरवाडिया हाल बनोडा, तहसील झल्लारा जिला सलूम्बर (राज.)

—प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नानजी पिता पुंजा डांगी उम्र बालिग
2. श्रीमतीमावी पत्नी पुंजा डांगी उम्र बालिग
   निवासीयान ओरवाडिया तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।
3. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

सहायक कलेक्टर सलूम्बर

—::निर्णय::—

दिनांकः— 07/01/25

उपस्थितिः— श्री नारायणसिंह चूण्डावत अधिवक्ता — प्रार्थीगण
श्री प्रकाश कुमार चौबिसा अधिवक्ता—विपक्षी सं. 1, 2

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा—151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया तहसील सलूम्बर खाता संख्या 237 आराजी नम्बर/रकबा 416/0.44, 417/0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर शामलाती कृषि भूमि स्थित है। आराजी नम्बर 416 रकबा 0.44 हैक्टेयर की कृषि भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा स्थित है तथा उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में व मौके पर कोई पांती बंटवाडा नहीं हुआ है। उक्त आराजी शामलाती खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने ओरवाडिया गांव में आने जाने वाली डामर सडक की ओर आधे से अधिक भाग पर विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने अपने रहने व पशुओं के बांधने के लिये पक्का मकान निर्माण कर रखा है तथा उसके बाद कृषि भूमि खाली पडी हुई है जो मौके पर प्रार्थीगण के हिस्से में आई हुई है। विपक्षीगण प्रार्थीगण का पुरा हिस्सा जबरन हडपने की नियत के चलते पूर्व मे मौके पर छोडे गये हिस्से की भूमि पर जबरन नींव खोदकर ईटे, रेत पत्थर डलवा जबरन कब्जा करने की नियत के चलते मारोमार स्वयं व मजदुर लगाकर पक्का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमदा है जबकि राजस्व रेकार्ड में कोई पांती

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

बंटवाडा नही हुआ है एवं मौके पर भी विधिवत मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पांती बंटवाडा नहीं होने के बावजुद जोर जबरदस्ती विपक्षी संख्या 1 व 2 जबरन नींव खोदकर निर्माण कर रहा है। इसलिये प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत पांती बंटवाडा करने के वाद के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मुलवाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 416 रकबा 0.44 हैक्टेयर कृषि भूमि का विधिवत पांती बंटवाडा होने तक विपक्षीगण उक्त वर्णित आराजीयत की भूमि मे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे।

प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। तथा आदेशिका दिनांक 12–06–2023 को प्रार्थीगण को एक पक्षीय सुना जाकर विपक्षीगण के खिलाफ अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की गई। बाद तामील विपक्षी सं. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विरेन्द्र कुमार पटेल एवं आदेशिका दिनांक 23–07–2024 से श्री प्रकाश कुमार चौबिसा पैरवी हेतु हाजिर रहे।

विपक्षीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि आराजी नम्बर 416 में प्रार्थीगण के खाते सेवन से 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा विपक्षीगण संख्या 1 व 2 ने आराजी नम्बर 416 में रहने व पशुओं के बांधने के लिए पक्का मकान निर्माण कर रखा है परन्तु उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा व कब्जा काश्त नहीं है। इसलिये पांती बंटवाडे की जरूरत भी नहीं है। आराजी नम्बर 416 मे विपक्षीगण ने हाल ही में कोई नया निर्माण का कार्य चालु नहीं करवाया हैं विपक्षीगण ने उक्त आराजीयात में 30–40 साल पूर्व ही रिहायशी मकान व मवेशियों के बांधने का पक्का मकान बना रखा है। यदि वास्तव में उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होता एवं हक होता तो उसी समय न्यायालय में अपने हक व अधिकार के लिये वाद दायर करते तथा न्यायलय से स्टे प्राप्त करके, अपने हक व अधिकार की घोषणा कराते, इससे साफ है कि प्रार्थीगण का मौके पर कोई कब्जा काश्त न तो पहले था एवं न ही आज है तथा बिना कब्जे के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो ही नहीं सकती है।

विपक्षीगण ने विशेष कथन कर अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजीयात के साबिक आराजी नम्बर 327/2 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा पैमाईश के बाद नये नम्बर अराजी नम्बर 416 व 417 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर बने है। प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री नाथु, विपक्षी संख्या 1 नानजी के पिता स्व. श्री पुंजा व रामा। इस प्रकार नाथु, पुंजा व रामा तीनों सगे भाई थे। विवादग्रस्त आराजी रामा अकेले को आवंटित हुई थी। रामा लाऔलाद फौत हो गया। उसके जीवन काल में उसने किसी पुत्र को गोद नहीं रखा था, उसकी सम्पत्ति के विवाद के निपटारे के लिए दोनों भाईयों पुंजा व नाथु नें गांव के पंचो को इक्कठा किया। गांव के पंचो ने आराजी नम्बर 327/2 रकबा 2 बिघा 10 बिस्वा विपक्षी संख्या 1 नानजी के पिता अकेले को सुपुर्द की एवं आराजी नम्बर 3103 रकबा 0.21 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा स्व. रामा का पैतृक मकान जिसमें रामा रहता था वह मकान प्रार्थीगण के पिता नाथु अकेले को सुपुर्द किया। तभी से करीबन 30–40 वर्षो से आराजी नम्बर 3103 व स्व. श्री रामा का पैतृक मकान प्रार्थीगण अकेलो के पास ही है एवं आराजी नम्बर 416, 417 पर विपक्षीगण अकेले क़ाबिज काश्त चले आ रहे है। जबकि खाते में आराजी नम्बर 3103 में 1/2 हिस्सा आज भी विपक्षी के नाम दर्ज है। परन्तु विपक्षी ने अपनी नियत नही बदली हैं जबकि प्रार्थीगण का आराजी नम्बर 416 व 417 में 1/4 हिस्सा दर्ज हो जाने से अपनी नियत बदलकर केवल मात्र सेवन से खाते में नाम दर्ज हो जाने की वजह से 30–40 साल पूर्व बंटवाडे में आई भूमि को हडपना चाह रहे है। प्रार्थीगण के पिता स्व. श्री नाथु ने इसी विवादग्रस्त आराजी संख्या 416 व 417 का बंटवाडा व घोषणा कराने का वाद सन् 2010 मे पेश किया था जिसके मु.नं. 48/2010 जो दिनांक 21–11–2012 को वादीगण की अदम हाजरी व अदम पैरवी की वजह से खारिज हो गया। उक्त वाद में प्रार्थीगण के पिता ने उक्त आराजीया तमे 1/2 हिस्सा

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

की घोषणा कराने की मांग की थी एवं आज प्रार्थीगण उक्त आराजीयात में 1/4 हिस्सा की घोषणा कराने की मांग कर रहे है। क्योंकि वादी झुठा था। इसलिए वाद प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय मे हाजिर नही हुआ था जिससे वादी का वाद खारिज हुआ था, इसलिए इसी आराजीयात बाबत् प्रार्थीगण दुबारा वाद लाने का अधिकार खत्म हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्राथना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थीगण वर्तमान जमाबंदी के अनुसार 1/4 के हिस्से के हकदार है। प्रार्थीगण ने पुरानी जमाबंदी का अवलोकन किया उसमे प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के हकदार है। फिर भी हम 1/4 हिस्से के लिए दावा लाए है। प्रार्थीगण के पक्ष मे पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। प्रार्थीगण ने मौके के फोटोग्राफ लगाये है जिसमे विपक्षीगण ने स्टे के बावजुद नीवं खोदकर निर्माण कर लिया है। अतः प्रार्थीगण ने अवमानना का प्रार्थना पत्र भी पेश कर रखा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष मे मूलवाद के निस्तारण तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा कन्फर्म की जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगणं ने बहस मे अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि इनके प्रार्थना पत्र मे कही नही लिखा है कि इनका बाडा अथवा मकान बना है इनका दावा चलने योग्य नही है। इनको यही पता नही है कि इनका कितना हिस्सा है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे। विपक्षीगण का निवेदन है कि इन्होने 2010 मे अपने वाद मे यह लिखा है की मुझे कब्जे से बेदखल कर दिया है अतः मौके पर इनका कब्जा नही है। अतः इनका प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है।

बहस मनन की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजस्व रेकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौजा ओरवाडिया पटवार हल्का ओरवाडिया तहसील सलूम्बर राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 237 आराजी नम्बर/रकबा 416/0.44, 417/0.08 कुल किता 02 कुल रकबा 0.52 हैक्टेयर भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना प्रकट आया जिसमे प्रार्थीगण के नाम दर्ज अंकित है। बहस के दोरान यह तथ्य सामने आया है कि विधिवत बटवारे के बिना मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा आदेश 39 निमय 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 12–06–2023 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म की जाती है तथा विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 416 प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में निर्माण कार्य नही करे तथा मौके की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 07/01/25 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सहायक कलक्टर-2 सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.))

(पर्वत सिंह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर